

## विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला—4, 28 अगस्त, 2012

**संख्या: वि०स०—लैज—गवर्नर्मैट बिल/१—६०/२०१२**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 47) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा ।

### 2012 का विधेयक संख्यांक 47

#### हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 2 और 5(क) प्रथम अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

**2. धारा 4 का संशोधन**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) में,—

(क) खण्ड (ग) में “4,00,000/-” अंको और चिन्हों के स्थान पर “5,00,000/-” अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ड) में “6,00,000/-” अंको और चिन्हों के स्थान पर “8,00,000/-” अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

**3. धारा 11 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(16) यदि कोई व्यौहारी,—

(क) अपनी विवरणी में ऐसे आगत कर प्रत्यय का मिथ्या दावा करता है जिसका वह हकदार नहीं है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर

और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम से दुगुनी राशि के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा; और

(ख) अपनी विवरणियों में आगत कर प्रत्यय का गलत दावा करता है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण:—

(i) खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "मिथ्या" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के आशय से जानबूझकर किया गया अत्यधिक दावा अभिप्रेत है; और

(ii) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए "गलत" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के किसी आशय के बिना, अशुद्ध गणना के कारण अत्यधिक दावा अभिप्रेत है ।

4. धारा 14 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (7) में "वह निर्धारण के लिए दायी है," शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु "के बराबर की रकम" शब्दों से पूर्व "प्रेषण के मूल्य के पचास प्रतिशत" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 16 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

"(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (3क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, व्यौहारी के किसी वर्ग को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, आवर्त की ऐसी सीमा और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, विवरणी को दाखिल करने से छूट दे सकेंगी तथा स्त्रोत पर की गई कर की कटौती, यदि कोई है, को कर का अन्तिम संदाय समझा जाएगा और व्यौहारी उस अवधि के लिए निर्धारण के लिए दायी नहीं होगा";

(ख) उपधारा (6) में "विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पच्चीस रूपए प्रतिदिन के बराबर की राशि दस दिन तक के लिए संदत्त करने के लिए दायी होगा और उसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहने तक शास्ति पचास रूपए प्रतिदिन के हिसाब से होगी किन्तु ऐसी शास्ति तीन हजार रूपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर "दो सौ रूपए की राशि संदत्त करने के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उपधारा (8) में "की दुगनी के बराबर की रकम" शब्दों के स्थान पर "की दुगनी तक रकम किन्तु जो ऐसे कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 21 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (7) में "बराबर की राशि" शब्दों के स्थान पर "दुगने तक की राशि किन्तु जो कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (9) में "उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी" शब्दों के पश्चात् "किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 33 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (3) में, "क्रय या विक्रय की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाता है" शब्दों के पश्चात् किन्तु ", तो आयुक्त या धारा 3" शब्दों और चिन्ह से पूर्व "या कारबार परिसर में लेखा बहियां नहीं पाई जाती हैं," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

**8. धारा 34 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (12) में “या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है” शब्दों के पश्चात् किन्तु ”, तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो,“ शब्दों और चिन्हों से पूर्व “या उन बिलों के अन्तर्गत वहन किए जाने के लिए तात्पर्यित प्रेषण के बिना बैरियर पर घोषणा के लिए बिल प्रस्तुत करता है” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

**9. धारा 50 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) में “दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, पचास रुपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

**10. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां**—(1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

### उददेश्यों और कारणों का कथन

उन छोटे और सीमान्त व्यापारियों, जो होटल, रेस्तरां, बेकरी या अन्य समरूप स्थापन आदि चलाते हैं, को प्रसुविधा प्रदान करने और विभाग को उन शेष व्यापारियों, जिनकी कराधेय सीमा 5,00,000/-रुपए से अधिक है, को बेहतर ढंग से विनियमित करने में सशक्त बनाने के आशय से विद्यमान कराधेय सीमा को 4,00,000/- रुपए से बढ़ाकर 5,00,000/- रुपए तक करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत कम आवर्त वाले ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणी के ठेकेदारों को, विवरणियों को फाइल करने और निर्धारण करवाने में कठिनाई आ रही है । इसलिए यह भी विनिश्चय किया गया है कि तीस लाख रुपए तक के वार्षिक आवर्त वाले ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणी के ठेकेदारों से, जिन्होंने तीन प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. संदर्भ किया है, उस वर्ष के लिए कोई विवरणी फाइल करनी अपेक्षित नहीं होगी और स्त्रोत पर काटा गया कर, कर का अंतिम संदाय समझा जाएगा और ठेकेदारों की ऐसी श्रेणी हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन यथा अपेक्षित किसी निर्धारण के अध्यधीन नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त छोटे और सीमान्त व्यौहारियों को प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु कराधेय सीमा को किसी अन्य व्यौहारी के संबंध में, 6,00,000/- रुपए से 8,00,000/- रुपए करने का विनिश्चय किया गया है । इन छोटे और सीमान्त व्यौहारियों को दिन-प्रतिदिन के लेखों के रख-रखाव में भी बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त इस वर्ग के व्यौहारियों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता भी सीमान्त ही है, क्योंकि माल की सम्पूर्ण पूर्ति राज्य के भीतर से की जा रही है जहां मूल्य परिवर्धित कर प्रथम प्रक्रम पर उद्गृहीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न व्यापार मण्डलों, औद्योगिक संगमों और राज्य के विभिन्न भागों से व्यापारिक समुदायों से पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन शास्तियों की संरचना युक्तियुक्त बनाने, विशिष्टतया धारा 11 की उपधारा (16) के अधीन आगत कर प्रत्यय के मिथ्या दावे से संबंधित शास्ति हेतु काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यद्यपि शास्तियां भयपरतिकारी के रूप में कार्य करती हैं और स्वतः अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, तथापि विभिन्न दाण्डिक उपबन्धों के दुर्व्यपदेशन का परिवर्जन करने के लिए विभिन्न दाण्डिक उपबन्धों को, राज्य के बहतर राजस्व हित में और राज्य के व्यापारिक समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए, युक्तिसंगत बनाना समीचीन प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न दाण्डिक उपबन्धों को युक्तियुक्त बनाने से कर अपवंचन और अननुपालन को निरुत्साहित करने की आशा है तथा इससे विभिन्न स्तरों पर कर विनियमन सशक्त होगा । इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3) को 8 जून, 2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को उपांतरणों सहित नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मंत्री ।

शिमला:

तारीख : ..... 2012

### वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के उपबन्धों के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप, कर के संग्रहण में कुछ कमी हो सकती है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तथापि, इस श्रेणी के अधीन नए व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण राज्य के कर आधारक को विस्तारित करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

---

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

---

### भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (संख्या:ई0एक्स0एन0—एफ(1)–9 / 2012)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरास्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है ।

---

### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 47 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2012

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2(a) and 5(a) shall be deemed to have come into force on 1<sup>st</sup> day of April, 2012.

**2. Amendment of section 4.**—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), in sub-section (6),—

- (a) in clause (c), for the figures and signs “4,00,000/-”, the figures and signs “5,00,000/-” shall be substituted; and
- (b) in clause (e), for the figures and signs “6,00,000/-”, the figures and signs “8,00,000/-” shall be substituted.

**3. Amendment of section 11.**—In section 11 of the principal Act, for sub-section (16), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(16) If a dealer,—

- (a) falsely claims Input Tax Credit in his returns to which he is not entitled, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to twice the amount of such claim or credit; and
- (b) claims incorrect Input Tax Credit in his returns, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to fifty percentum of the amount of such claim or credit.

**Explanation:**—(i) For the purpose of clause (a) “falsely” means excessive claim made deliberately with the intent to affect revenue interest adversely; and

(ii) For the purpose of clause (b) “incorrect” means excessive claim due to wrong calculation without any intention to affect revenue interest adversely.

**4. Amendment of section 14.**—In section 14 of the principal Act, in sub-section (7), for the words “the amount of tax evaded or attempted to be evaded”, the words “fifty percentum of the value of consignment” shall be substituted.

**5. Amendment of section 16.**—In section 16 of the principal Act,—

- (a) after sub-section (3), the following new sub-section (3a) shall be inserted, namely:—
  - “(3a) The State Government may, by notification, exempt any class of dealer from filing of return, subject to such restrictions and conditions, such limit of turnover and for such period, as may be prescribed, and tax, if any, deducted at source, shall be deemed to be final payment of tax and such dealer shall not be liable to assessment for that period.”;
- (b) In sub-section (6), for the words, figures and signs “Rs. 25/- per day for dealing in furnishing such return upto 10 days, where after the penalty shall be Rs. 50/- per day till the default continues but such penalty shall not exceed Rs.3000/-” the words, figures and signs “Rs. 200/-” shall be substituted.; and
- (c) In sub-section (8), for the words “equal to twice the amount of tax”, the words “upto twice the amount of tax but which shall not be less than one hundred percentum of such tax amount” shall be substituted.

**6. Amendment of section 21.**—In section 21 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (7), for the words “equal to the amount” the words “upto double the amount of tax assessed but which shall not be less than one hundred percentum of the amount of tax” shall be substituted.; and
- (b) in sub-section (9), after the words “sum due from him”, the words “but which shall not be less than one thousand rupees” shall be inserted.

**7. Amendment of section 33.**—In section 33 of the principal Act, in sub-section (3), after the words “sales or purchases”, the words “or the account books are not found at the business premises” shall be inserted.

**8. Amendment of section 34.**—In section 34 of the principal Act, in sub-section (12) after the words “or without genuine documents”, the words “or presents bills for declaration at the barrier without the consignment purported to be transported under those bills” shall be inserted.

**9. Amendment of section 50.**—In section 50 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs “not exceeding two thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding fifty rupees”, the words and signs “not exceeding five thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding two hundred rupees” shall be substituted.

**10. Repeal of Ordinance No. 3 of 2012 and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

In order to benefit the small and marginal traders who runs a hotel, restaurant, bakery or other similar establishment etc., and to strengthen the department to regulate the remaining traders in better way whose taxable limit exceeds Rs. 5,00,000/-, it has been decided to enhance the

existing taxable limit from Rs. 4,00,000/- to Rs. 5,00,000/-. Further, it was also observed that 'C' and 'D' class contractors registered with the Department, having less turnover, finds it difficult to file returns and get the assessment done. Therefore, it has also been decided that Contractors of 'C' and 'D' class having annual turnover upto Rs. 30 lakh and who have paid TDS @ 3% will not be required to file any return for that year and tax deducted at source will be deemed to be a final payment of the tax and such class of contractors shall not be subject to assessment as required under section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Further in order to facilitate the small and marginal dealers it has been decided to enhance taxable limit in relation to any other dealer from Rs. 6,00,000/- to Rs. 8,00,000/-. These small and marginal dealers are increasingly finding it difficult to maintain day-to-day accounts and moreover the percentage of revenue receipts from this category of dealers is just marginal as the entire supplies of goods are being sourced from within the State where Value Added Tax is levied at first stage. Further, a large number of representations have been received from various Beopar Mandals, Industrial Associations and trading communities from various parts of the State to rationalize structure of penalties under various provisions of the Act ibid particularly the penalty under sub-section (16) of section 11, relating to false claim of Input Tax Credit. Though the penalties acts as deterrence and promotes auto-compliance but in order to avoid misinterpretation of the various penal provisions, it seems expedient in larger revenue interest of the State on the one hand and dispensation of justice to the trading community of the State on the other hand to rationalize the various penal provisions. Besides, the rationalization of various penal provisions, is expected to discourage tax evasion and non-compliance and will strengthen the tax regulation at various levels.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012 (H.P. Ordinance No. 3 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 8<sup>th</sup> June, 2012, which was published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 14<sup>th</sup> June, 2012. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment with modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**PREM KUMAR DHUMAL,**

*Chief Minister.*

SHIMLA :

Dated: ....., 2012.

---

#### **FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions of clause 2 of the Bill when enacted may result in some reduction in tax collection, which cannot be quantified, however, the new registration of dealers under this class will certainly help in expanding State's tax base. The provisions of the Bill when enacted will be enforced by the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

---

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 5 of the Bill seeks to empower the State Government to frame rules for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

---

### **RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

**File No.: EXN-F(1)-9/2012**

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.